problem in Punjab with the prevailing situation in the State;

(b) if so, what is the comparative percentage of the rise in unemployment among the skilled, unskilled, educated and uneducated youth in Punjab during 1985, 1986, and 1987; and

(c) in what manner Government propose to tackle the problem?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) According to the results available from the 38th round of the National Sample Survey Organisation conducted during 1983, the percentages of the unemployed out of the persons aged 5 plus in Punjab (according to the Usual Principal Satus) are as follows:—

	Male	Female
Rural . . .	2.06	0.62
Urban . . .	2.53	0.89

(b) Information not available.

(c) The policies and programmes for employment generation have been given in Chapter 3 of Volume I and Chapter 5 of Volume II the Seventh Five Year Plan document, which are being implmented in Punjab also.

खतरनाक कामों में बच्चों का नियोजित किया जाना

5.22. **श्री शरद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बच्चों को अत्यधिक जोखिम वाले कार्यों में लगाया जा रहा है ;

(ख) क्या बाल श्रमिक के संबंध में कोई कानून लागू किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत किसी फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां तो यदि ऐसी कोई फर्म हों तो, उनके नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध कायवाही की गई है ; और

(घ) बाल श्रमिकों को जोखिम वाले कार्य से मुक्ति दिलाने और उनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : : (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, राज्य दुकान और वाणिज्यक प्रतिष्ठान अधिनियम आदि के अन्तर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और यह सभी अधिनियम इस समय लागू हैं । अधिकांश क्षेत्रों में, जहां बालक काम करते हैं, इन अधिनियमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें संबंधित सरकारें हैं । सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर कहा गया कि वे बाल श्रमिकों से संबंधित कानूनी उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें ।

(घ) चूंकि बाल श्रमिकों के शोषण की समस्या का समाधान करने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है, उन बालकों का, जिन्हें प्रतिषिद्ध नियोजनों से वापस लिया जाएगा, उचित रूप से पुनर्वास करने तथा अनुज्ञाप्राप्त नियोजनों में काम कर रहे बालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, कौशल विकास आदि जैसी कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई है ?

Revision of sugarcane prices

523. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the rate of sugarcane per quintal fixed by each State in the year 1987-88; and

(b) the facilities being provided to can growers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) As per the information available with the Central Government, the range of actual prices of sugarcane being paid by sugar factories in the major sugar producing States for the 1987-88 season are given below:

State	Range of prices (Rs. per quintal)
Uttar Pradesh	26.50 to 27.00
Bihar	26.50
Punjab	28.00 to 31.00
Haryana	28.00 to 32.00
Madhya Pradesh	26.50
Rajasthan	28.00 to 29.00
Maharashtra	23 00 to 30.20
Andhra Pradesh	23.96 to 25.17
Tamil Nadu	22 02 to 27.18
Karnataka	23.50 to 27.50
Kerala	27.00

(b) The Central Government gives loan assistance on soft terms to sugar factories for development of sugarcane out of the sugar Development Fund. This development schemes are of great benefit to the sugarcane growers. The assistance is available to factories in Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana also.

राज्यों को सूखा संबंधी सहायता का दिया जाना

524. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों को अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है और उनके द्वारा प्राप्त की गई ऐसी धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इस संबंध में राज्यों की अन्य मांगें क्या-क्या हैं और उन्हें किस तरह पूरा किए जाने का विचार है ; और

(ग) वर्षा की भावी संभावनाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों को सूखा राहत के लिये 1443.07 करोड़ रुपये जिसमें 282.67 करोड़ रुपये गुजरात के लिये और 433.16 करोड़ रुपये राजस्थान के लिये शामिल हैं की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा प्रस्तुत व्यय रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। वर्ष 1987-88 के दौरान सूखा राहत के लिए विभिन्न राज्यों को 1110.84 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। वित्तीय सहायता के अलावा, भारत सरकार सूखा राहत कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं में वितरण के लिये राज्यों को अनाजों का आवंटन भी करती है।